गृह विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा आई0आर0बी0 द्वितीय बटालियन में 120 व्यक्तियों की बैरक, क्वार्टरगार्ड, परेडग्राउण्ड, जी0पी0 स्टोर/बटालियन स्टोर, श्रेणी पंचम का 01 आवास, श्रेणी चतुर्थ का 01 आवास, श्रेणी तृतीय के 04 आवास, श्रेणी द्वितीय के 08 आवास एवं आवश्यक बाउण्ड्रीवाल, सडक के निर्माण कार्य की योजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री नरेन्द्र पाल सिंह, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– जनपद देहरादून में आई0आर0बी0 द्वितीय बटालियन की स्थापना के उपरान्त राज्य में कानून व्यवस्था एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के संचालन में सहयोग प्राप्त होगा। आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण से अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवसीय सुविधा उपलब्ध हो जाने से उनके कार्य सम्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्यो की क्षमता में वृद्धि होगी जिससे समस्त प्रदेश को लाभ होगा।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– आई0आर0बी0 में विभिन्न घटकों/भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Description	Plinth Area
1	Quarter Guard in one Floor	829.55 sqm
2	Battalion Store in one Floor	381.89 sqm
3	Barrack (120 Capacity) in four floor	1672.83 sqm
4	Type V (one unit)	253.49 sqm
5	Type IV (one unit	127.04 sqm
6	Type III (four unit)	863.00 sqm
7	Type II (eight unit)	919.03 sqm
8	Internal Road Work	
9	Boundary Wall and Chainfenching	
10	External Electrification Works	
11	Fire Fighting System	
12	Rainwater Harvesting Works	
13	Ward Room and Gates	
14	Landscaping	
15	Under Ground Water Tank	
16	Septic Tank and Soak pit	

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः—**

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें योजना को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्तुत की गयी।

4.2 योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में आई0आर0बी0 की स्थापना के संगत मद में रू0 6.00 करोड का बजट प्राविधान किया गया है।

4.3 आई0आर0बी0 द्वितीय बटालियन में 120 व्यक्तियों की बैरक, क्वार्टरगार्ड, परेडग्राउण्ड, जी0पी0 स्टोर/बटालियन स्टोर, श्रेणी पंचम का 01 आवास, श्रेणी चतुर्थ का 01 आवास, श्रेणी तृतीय के 04 आवास, श्रेणी द्वितीय के 08 आवास एवं आवश्यक बाउण्ड्रीवाल, सडक एवं स्थल विकास के कार्यो प्राविधानित किये गये है।

4.4 भवन निर्माण में निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण खण्ड, देहरादून द्वारा भवन निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का समावेश किया गया है।

4.5 आई0आर0बी द्वितीय के निर्माण हेतु East Hope Town तहसील विकासनगर में दो भागों में भूमि उपलब्ध है।

4.6 भवन निर्माण हेतु कार्य स्थल भूमि की Geo Technical Investigation कार्य आई0आई0टी0, रूडकी द्वारा किया गया है। मिट्टी की सुरक्षित भार वहन क्षमता सामान्य भूतल से 2.00 मीटर गहराई में 17.00 टन प्रति वर्ग मीटर आंकलित की गयी।

4.7 योजना की Structural Design and Drawing का कार्य Aakar Architects, Rishikesh द्वारा किया गया है। ड्राइंग एवं डिजाइन का परीक्षण Shri Rajeev & Co. द्वारा किया गया है, डिजाइन एवं ड्राइंग को बी0आई0एस0 मानकों के अनुरूप अवगत कराया गया है। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग किसी अधिकृत संस्था से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है।

4.8 योजना में Solar Power Panel and Rain water Harvesting का प्राविधान किया गया है।

4.9 External Electrification के अन्तर्गत transformer, DG Set, HT Panel, Tube well का प्राविधान किया गया है।

4.10 योजना में Fire Fighting एवं Site Development के अन्तर्गत Rain water harvesting, Parking, Horticulture work तथा Under ground water tank का प्राविधान किया गया है।

4.11 आई0आर0बी0 द्वितीय बटालियन की स्थापना हेतु प्रथम चरणों के कार्यो हेतु रू0 82.48 लाख स्वीकृत है जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा रू0 11.66 लाख के कार्य (जंगल सफाई व ऐगल आइरन फेंसिंग) सम्पादन कराया जाना अवगत कराया है, अवशेष राशि रू0 70.82 लाख (रू0 82.48 – रू0 11.66 लाख) प्रस्तावित योजना लागत से समायोजन किया जाना आवश्यक होगा।

4.12 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :—

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Description	Amount (Rs in lakh)		
		DSR	NSI	SOR
1	Quarter Guard	299.72	5.81	7.37
2	Battalion Store	102.07	1.15	0.90
3	Barrack (120 Jawan)	440.11	25.79	1.33
4	Type-5 (1 No.)	80.75	1.38	1.49
5	Type-4 (1 No.)	43.51	2.11	0.42
6	Type-3 (1 No.)	200.23	2.02	1.15
7	Type-2 (1 No.)	217.68	3.16	0.80
8	Guard Room & Gate (2 Nos.)	25.68	0.04	0.06

क्रमशः पृष्ठ—3/—

9	Road Work	8.12	0.00	82.41
10	Parade Ground	58.55	0.00	0.00
11	Chain Link Fencing	47.27	0.00	20.12
12	Retaining Wall	0.42	0.00	21.54
13	External Water Supply	14.96	0.00	0.00
14	External Electrical	2.26	44.45	0.00
15	U.G. Tank (50KL) (2Nos)	14.72	0.00	0.00
	Sub Total	**1556.05**	**85.94**	**137.59**
	Add Cost index for Dehradun	31.12	-	0.00
	Work contingencies@3%	47.61	-	4.13
	Add GST @ 12% (on PWD SOR)	-	-	17.00
	Total cost of work	**1634.78**	**85.94**	**158.72**
	Centage Charge @8%	130.78	6.87	11.34
	Add for Electrical Connection		5.00	
	Grand Total	**1765.56**	**97.81**	**170.06**
	Say in Lakh		**2033.43**	
	प्रथम चरण के कार्यो हेतु स्वीकृत राशि रू0 82.48 लाख के विरूद्ध रू0 11.66 लाख लागत के कार्य सम्पादन के उपरान्त (रू0 82.48–11.66 लाख) रू0 70.82 लाख का समायोजन		(-) 70.82	
	Total Cost of Project		**1962.61 lakh**	

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1962.61 लाख

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.13 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि** रू0 1962.61 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.3 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.4 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.5 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

5.6 आगणन में डी0एस0आर0 2018 एवं लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 2019 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य

क्रमशः पृष्ठ–4/–

होंगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.7 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनके सम्पादन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरस पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.8 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.9 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5.10 प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु भूमि, नदी तट के समीप होने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाय कि भंवनों के भूतल का लेवल नदी के अधिकतम बाढ़ लेवल से ऊँचा रहे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1—5.10 तक निहित शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या।203/756/गृह/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021—22
देहरादूनः दिनांकः 30, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, गृह विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)